डीजी-परिपत्र संख्या- 06 /2020

मुकुल गोयल
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस भवन,गोमतीनगर विस्तार
लखनऊ-226002

दिनांक : लखनऊःअप्रैल 11 ,2020

विषयः कमिश्नरेट में घटित जघन्य अपराधों से संबंधित विशेष रिपोर्ट पत्रावलियों के रख रखाव एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।

प्रिय महोदय,

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-101 में इंगित कतिपय अपराध की सूचना थाने पर पंजीकृत होने के उपरान्त उन्हें विशेष आख्या अपराध (Special Report Case) मानकर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना प्रेपित करते हुये कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है। किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में रखने का उद्‌देश्य यह है कि इसकी विवेचना गहनता से किये जाने के साथ-साथ विवेचना का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एवं गहराई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करते हुये विवेचक का सही मार्गदर्शन किया जाय, जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके और अपराधियों को दण्डित कराया जा सके ।

2- विभिन्न अपराधों की गुरूता, गम्भीरता, आयाम एवं विस्तार में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। कतिप्य जनपदों में नवसृजित पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर यह महसूस किया जा रहा है कि विशेष आख्या अपराध एवं क्रमागत आख्यायें किस स्तर के अधिकारियों को प्रेषित की जाय, इसे स्पष्ट रूप में अंकित किया जाना समीचीन होगा ।

3- वर्तमान में मुख्यालय स्तर पर परिपत्र संख्याः49/2015 दिनॉकितः 07.07.2015 जिसे पूर्व में निर्गत कर पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-101 में इंगित कतिपय अपराधों को विशेष आख्या अपराध श्रेणी के अर्न्तगत रखते हुये कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत कर कुल 22 जघन्य अपराधों का चिन्हाकन किया गया है, जिसका एस0आर0 नम्बर एवं अनुमोदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है। इन 22 में से 20 ऐसे जघन्य अपराधों की एस0आर0 पत्रवलियों से संबंधित क्रमागत आख्यायें परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं इसी प्रकार 10 जघन्य अपराधों की एसआर पत्रावलियों में क्रमागत आख्यायें पुलिस महानिरीक्षक जोन को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु प्रेषित किये जाने की व्यवस्था प्रचलित है।

4- प्रदेश में स्थापित पुलिस आयुक्त प्रणाली वाले जनपदों(कमिश्नरेट)में एस0आर0 पत्रावलियों का रख रखाव एवं पर्यवेक्षण हेतु समानता तथा एकरूपता की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रचलित व्यवस्था के क्रम में कमिश्नरेट स्तर पर डीजी परिपत्र संख्याः49/2015 दिनांक 07.07.2015 में चिन्हित सभी 22 जघन्य अपराधों में क्रमॉगत आख्या का आवॅटन एवं अनुमोदन संबंधित पुलिस उपायुक्त(DCP) द्वारा किया जाय। उपरोक्तानुसार परिपत्र में इंगित 22 में से 20 जघन्य अपराधों की एस0आर0 पत्रवलियों की क्रमागत आख्यायें जो परिक्षेत्र स्तर पर प्रेषित की जाती है, उन अपराध शीर्षकों की क्रमागत आख्यायें संयुक्त पुलिस आयुक्त(अपराध)/अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) (JCP/ACP-CRIME) को तथा 10 जघन्य अपराधों की एस0आर0 पत्रवलियों में क्रमागत आख्यायें जो जोनल स्तर पर प्रेषित की जाती है,उन अपराध शीर्षकों की क्रमागत आख्यायें पुलिस आयुक्त (CP)को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु प्रेषित जायेगी ।

5- मैं चाहूँगा कि समस्त विशेष अपराध आख्या की पत्रावलियों का अभिलेखीयकरण एवं पर्यवेक्षण उपरोक्तानुसार सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में एक गोष्ठी कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराकर कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें ।

11/4/22

(मुकुल गोयल)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।

प्रतिलिपिःअपर पुलिस महानिदेशक,कानून व्यवस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।